## न्यायालयः–माखनलाल झोड़, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय–बैहर

आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक /06/2018

Filling No. CRR/175/2018

संस्थित दिनांक— 02.02.2018

CNR-MP50050002512018

रामकरण जामरे उम्र 49 वर्ष पिता श्री बेनीराम जामरे जाति मरार निवासी—सुसवा पो.माटे थाना तहसील किरनापुर जिला बालाघाट

– – अपुनरीक्षणकर्ता

## / / विरुद्ध / /

म0प्र0 राज्य द्वारा:— वन परिक्षेत्र खापा बफरजोन कान्हा टाईगर रिजर्व वृत्त गोरखपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट — उत्तरवादी

> न्यायालयः श्री दिलीप सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा पेश आवेदन अंतर्गत धारा 457 द.प्र.सं. से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका पेश की है।

श्री नदीम कुरैशी अधिवक्ता वास्ते पुनरीक्षणकर्ता। श्री अभिजीत बापट, ए.पी.पी. वास्ते गैरपुनरीक्षणकर्ता।

-/// आदेश ///

(आज दिनांक 21 फरवरी 2018 को पारित)

1— पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण धारा 397 द०प्र०सं० के अंधीन न्यायालय श्री दिलीप सिंह, न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 457 द.प्र.सं. को निरस्त किए जाने से परिवेदित होकर पेश की है।

- 2— पुनरीक्षणकर्ता के विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 457 द.प्र.सं. को पेश कर वन परिक्षेत्र खापा बफर जोन कान्हा टाईगर रिजर्व के पी0ओ0आर0 कमांक 1664 / 18 दिनांक 05.11.2017 में जप्तशुदा वाहन कमांक एम0पी0 50 बी0—9523 का वह पंजीकृत स्वामी है, के आधार पर स्वयं के उपयोग हेतु वाहन सुपुर्दगी पर दिए जाने के आवेदन पर सुनवाई करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.01.18 को आवेदन निराकृत करते हुए निरस्त किया है।
- 3— पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण का आधार यह है कि पुनरीक्षणकर्ता की मोटरसायकल कमांक एम0पी0 50 बी0—9523 पी0ओ0आर0कमांक 1664/208 धारा 39 (3)ए, 51, 48ए/51, 9/51, 52 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में जप्तशुदा उक्त वाहन को वन अधिकारियों ने आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए जप्त किया है। जप्त संपत्ति का उपयोग अपराध कैसे किया गया, लेख नहीं है। जप्त संपत्ति अपराध से संबंधित नहीं है। उक्त मोटरसायकल पुनरीक्षणकर्ता के रोज उपयोग करने वाली वस्तु है। वाहन खड़ा रहने से यांत्रिकी खराबी आवेगी। वाहन सुपुर्दगी पर प्राप्त कर मामले के अंतिम निराकरण तक सुरक्षित रखने तैयार है। पुनरीक्षणकर्ता समस्त आदेशों का पालन करने तैयार है। आदेश दिनांक 19.01.2018 अपास्त कर जप्तशुदा उक्त मोटरसायकल सुपुर्दगी पर दिए जाने का आदेश पारित किए जाने की याचना की है।
- 4— उभयपक्ष द्वारा किये गये तर्कों को विचार में लिया गया। वन परिक्षेत्र खापा बफर जोन कान्हा टाईगर रिजर्व के पी०ओ०आर० कमांक 1664 / 18 दिनांक 05.11.2017 की डायरी का अवलोकन किया गया। जप्तीपत्र के अनुसार चाही गई संपत्ति जप्त है। वन कक्ष कमांक 1097 भवानीपाठ मंदिर के पास नायलोन की पीले रंग की बोरी में जीवित वन्य प्राणी पैंगुलिन जप्त होना लेख है। आवेदक ने अन्य अभियुक्तों के साथ उक्त अपराध कारित करने में वाहन का उपयोग किया है। केस डायरी के साथ संलग्न साक्ष्य के आधार पर विद्वान

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2018 को पारित किए गए प्रश्नाधीन आदेश में तथ्य की, विधि की, शुद्धता की त्रुटि नहीं है।

- 5— अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण स्वीकार किए जाने योग्य न होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।
- 6— इस आदेश की एक प्रति वन परिक्षेत्र खापा बफर जोन कान्हा टाईगर रिजर्व के पी0ओ0आर0 कमांक 1664 / 18 दिनांक 05.11.2017 के केस डायरी के साथ संलग्न कर भेजी जावे।
- 7— पुनरीक्षण पंजी से निरस्त हो, नतीजा पंजी में दर्ज हो, अभिलेख, अभिलेखागार में जमा हो।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में पारित किया गया।

सही / – (माखनलाल झोड़) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

सही / — प्रोइ) (माखनलाल झोड़) धीश, बालाघाट द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट य बैहर श्रृंखला न्यायालय बैहर